

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.)

-: सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन :-

क्रमांक.....५१९५/दो-११-३/२०२४,

बिलासपुर, दिनांक २२ जुलाई, २०२६

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	दिनांक २३/०७/२०२६ के प्रातः १०:३० बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक १२/०८/२०२६ के शाम ०५:०० बजे तक

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की स्थापना में शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)/सहायक ग्रेड-तीन संवर्ग/वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

रिक्त पदों का विवरण																		
क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			कुं	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	कुं	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	कुं	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	कुं	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	12	2	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	5	1	-	-
2	सहायक ग्रेड-तीन संवर्ग	24	3	1	-	-	4	1	-	-	3	1	-	-	6	3	1	1
3	वाहन चालक	01	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

महत्वपूर्ण टीप :-

- I उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है एवं पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है तथा आरक्षित पदों की संख्या में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यह विज्ञापन/भर्ती एवं नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एस०एल०पी० (सी) संख्या १९६६८/२०२२ के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- II परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
- III अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र, अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे।
- IV अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर नहीं होना चाहिए।
- V महिला आरक्षण का लाभ केवल उन महिला उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हों।
- VI दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में शारीरिक अशक्तता के प्रतिशत का सत्यापन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ के अंतर्गत गठित प्राधिकृत चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
- VII दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या एफ-१३-४/२०२३ दिनांक २९-०५-२०२३ के अनुसार (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) नियुक्ति के दौरान यू०डी०आई०डी० प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी की जाति श्रेणी के आधार पर अभ्यर्थी का नाम आरक्षण रॉस्टर के सुसंगत बिन्दु में दर्ज किया जाएगा।
- VIII ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें उक्त के संबंध में समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

 २६

1. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

1. शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी) (मैट्रिक्स लेवल-07, वेतनमान 28700- 91300)

शैक्षणिक योग्यता-

- I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण तथा;
- II. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
- III. कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का ज्ञान होना चाहिए।
- IV. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए।
- V. यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी (बोली) / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

सहायक ग्रेड-तीन संवर्ग (मैट्रिक्स लेवल-04, वेतन मान- 19500- 62000)

शैक्षणिक योग्यता-

- I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा;
- II. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स तथा;
- III. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।
- IV. यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी (बोली) / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

वाहन चालक (मैट्रिक्स लेवल-04, वेतन मान- 19500- 62000)

शैक्षणिक योग्यता-

- I. किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए
- II. परिवहन/कामर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए, वाहन मैकनिक्स को प्रथमिकता दी जावेगी
- III. स्वस्थ होना चाहिए
- IV. यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी (बोली) / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

टिप्पणी -

उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो कि किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हो, इससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

2. चयन प्रक्रिया

1. शीघ्रलेखक/सहायक ग्रेड-तीन:-

शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु चयन, लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी-

प्रथम चरण:- लिखित परीक्षा

द्वितीय चरण:- कौशल परीक्षा

प्रथम चरण - लिखित परीक्षा:-

- I. लिखित परीक्षा में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उक्त प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, समसामयिक एवं कम्प्यूटर आदि विषयों से संबंधित होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि कुल 01 घंटे की होगी, प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक होंगे, जिसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Mark) नहीं होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार किया जावेगा, किन्तु प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित अंक अंतिम चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के अंक में नहीं जोड़े जायेंगे।
- II. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, अंतिम समान अंक के सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा चाहे उसकी संख्या 1:10 से अधिक हो।

टीप:- यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-तीन संवर्ग के पद हेतु पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किये जाने के कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित किये गये, अंक आवेदित सभी पद हेतु विचार में लिये जायेंगे।

Handwritten signature and date 26

द्वितीय चरण- कौशल परीक्षा (शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन)

कुल अंक- 100

विवरण निम्नानुसार है-

परीक्षा का विवरण	समय	अंक
श्रुतलेख (250 शब्द)	02 मिनट 30 सेकण्ड	50 अंक
हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग (250 शब्द)	10 मिनट	50 अंक

श्रुतलेख 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 02 मिनट 30 सेकंड का दिया जायेगा जिसे लिखने के पश्चात् उसी श्रुतलेख को 10 मिनट में हिन्दी में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा ।

हिन्दी टायपिंग परीक्षा **उबंटू (Ubuntu)/ लिनक्स (Linux) ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड टायपिंग** में आयोजित की जायेगी। प्रत्येक शब्द की गलती (श्रुतलेख एवं टायपिंग दोनों पर) 1/2-1/2 अंक की कटौती की जायेगी ।

श्रुतलेख एवं कम्प्यूटर टायपिंग में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट सूची एवं प्रतियोगिता सूची तैयार की जायेगी। मैरिट सूची में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में अधिक आयु वाला अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र होगा । यदि अभ्यर्थियों की आयु भी समान हो तो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंक इस हेतु मापदण्ड होगा ।

द्वितीय चरण- कौशल परीक्षा (सहायक ग्रेड-तीन संवर्ग)

कुल अंक- 100

विवरण निम्नानुसार है-

परीक्षा का विवरण	समय	अंक
हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग (250 शब्द)	10 मिनट	50 अंक
अंग्रेजी कम्प्यूटर टायपिंग (250 शब्द)	10 मिनट	50 अंक

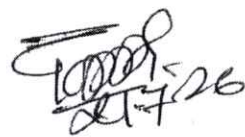
टायपिंग परीक्षा **उबंटू (Ubuntu)/ लिनक्स (Linux) ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड टायपिंग** में आयोजित की जायेगी। प्रत्येक शब्द की गलती पर 1/2 अंक की कटौती की जायेगी। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट सूची एवं प्रतियोगिता सूची तैयार की जायेगी। मैरिट सूची में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में अधिक आयु वाला अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र होगा । यदि अभ्यर्थियों की आयु भी समान हो तो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंक इस हेतु मापदण्ड होगा ।

2. वाहन चालक

वाहन चालक के पद हेतु 50 अंक की कौशल परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जावेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य कुशलता के साथ कार्य अनुभव इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जावेगा।

रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा / साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर वाहन चालक हेतु कक्षा आठवीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। कक्षा 8 वीं में मेरिट के आधार पर अंतिम प्राप्तांक के सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा चाहे यह संख्या आवेदित पद के 20 गुना से अधिक हो।

अर्ह पाये गये/घोषित किये गये अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार किया जावेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि अनुसार पहले जन्मे अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।



3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिये।
2. दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। (केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी)
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-
 1. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष
 2. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष (केवल ऐसी महिलाएँ, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो)
 3. दिव्यांगजन (शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों) को आयु सीमा में छूट, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के दिनांक 27.09.2014 के परिपत्र के अनुसार प्रदान की जाएगी।
 4. स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष।

परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टीप:- अभ्यर्थी को, आयु सीमा में छूट के संबंध में छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, जो छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023 के अनुरूप प्रभावी होगा, का लाभ नियमानुसार प्रदान किया जावेगा।

4. आयु संबंधी प्रमाण के लिये शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन एवं सहायक ग्रेड- तीन संवर्ग के पद के लिये कक्षा 10 वीं तथा वाहन चालक के लिए कक्षा 8 वीं के प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि उल्लेखित हो, मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(ब) कोई अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियों जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे।
6. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उसकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।
7. कोई भी उम्मीदवार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी है, तो उसने वयस्कता प्राप्त करने के बाद यदि 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष से विवाह करती है तथा यदि पुरुष वयस्क अभ्यर्थी है, तो वह 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से विवाह करता है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
8. अभ्यर्थी किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत करते हुए कदाचरण के लिए पदच्युत या सेवा समाप्त किया गया हो या निकाला गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
9. ऐसा अभ्यर्थी जिसे किसी गंभीर, नैतिक एवं किसी महिला के लज्जा के अवमान या यौन अपराध के लिए किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
10. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपने अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
11. जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समयावधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार छंटाई के पश्चात् अनंतिम पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति के अंतिम

26

- तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। दावा आपत्ति निराकरण की सूचना एवं अंतिम पात्र अपात्र सूची भी वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी।
12. दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् अंतिम पात्र एवं अपात्र सूची जारी कर, अंतिम पात्र सूची के आवेदकों को लिखित परीक्षा हेतु रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> अपलोड की जायेगी पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। जिला न्यायालय बिलासपुर के सूचना पटल पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जायेगी तथा वेबसाइट में भी अपलोड की जायेगी। उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे।
 13. अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जिला न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करके स्वयं का फोटो चस्पा करते हुए एक वैध पहचान पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित हो सकेंगे।
 14. यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो, उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहे और उक्त वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।
 15. त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

4. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से "आवेदित पद के नाम जैसे "शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)" "सहायक ग्रेड-तीन संवर्ग " एवं "वाहन चालक" लिखा हो, आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) को संबोधित होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांगता, अनुभव, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि प्रमाण पत्र स्व-अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किये जायेंगे। पूर्णत भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 12-08-2026** की संध्या 05:00 बजे तक **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स** में डाले जा सकेंगे।
3. डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, ई-मेल, फैक्स, कोरियर अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त/प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है।
5. **दिनांक 12-08-2026** की संध्या 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/ वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायांप्रति संलग्न करें।
7. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। (अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पश्चात् का संलग्न करना होगा) अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं होने की दशा में उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
8. अभ्यर्थी, आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लें, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
9. प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये निर्देशों तथा आवेदन पत्रों में वांछित सभी जानकारी देखकर, अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो, उसकी पूरी जवाबदारी अभ्यर्थी की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा, तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

[Handwritten Signature]
26

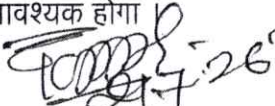
10. ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हों उन्हें उक्त के संबंध में समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के कार्यालयीन वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग, डाउनलोड कर किया जा सकता है।
12. आवेदन पत्र पर जहां पर आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य है, वहां पर बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, फोटोग्राफ एवं आवेदित पद की अर्हता से संबंधित वांछित दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
13. आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण रूप से भरें।

5. चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची

1. कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के अनुसार कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और अधिकतम 01 वर्ष के लिए वैध होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के 01 वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है या मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।
2. कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Final list) तैयार की जावेगी। सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (छ०ग०) को होगा।

6. महत्वपूर्ण निर्देश

1. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
3. चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29-06-2013 एवं परिपत्र कमांक एफ-13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 24-09-2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छ.ग. रायपुर से कराये जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों को, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो. कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति सिविल जिला बिलासपुर के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकेगी तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।


26

8. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी दावेदारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
9. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र कॉलम में नवीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
10. लिखित/कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
11. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।
12. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
13. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
14. नियुक्त अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि या राज्य शासन द्वारा जैसा कि समय-समय पर परिभाषित/निर्धारित की जाये, पर नियुक्त किया जाएगा।
15. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि / निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।
16. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दावेदारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने की स्थिति में, कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।


(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर (छ.ग.)

अनुमोदित



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी), सहायक ग्रेड-तीन संवर्ग एवं वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन
फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :
3. लिंग-पुरुष/महिला/अन्य :
4. पिता/पति का नाम :
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :
:
:
(ब) स्थाई पता :
:
:
6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) :
शब्दों में: :
(ब) दिनांक 01/01/2026 को आयु : वर्ष माह दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर :
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल :
निवासी है ? हाँ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा :
छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ :
अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें

11. क्या आवेदक दिव्यांग है ? हां/नहीं :
(यदि हां, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल
बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायांप्रति संलग्न करें)
12. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :
13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हां/नहीं :
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक :
एवं दिनांक
15. रोजगार कार्यालय का नाम :
16. क्या आप विवाहित है ? हां/नहीं :
17. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :
18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था :
में सेवारत है ? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित
छायांप्रति संलग्न करें)

20. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –

टीप :- प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुक्रम में संलग्न करें।

प्रमाण पत्र का नाम	संलग्न है/संलग्न नहीं
1. कक्षा 8वीं/हाई स्कूल प्रमाण पत्र	
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र	
3. स्नातक प्रमाण पत्र	
4. स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र	
5. हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र	
6. हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन प्रमाण पत्र	
7. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र	
8. छ0ग0 मूल निवास प्रमाण पत्र	
9. छ0ग0 स्थायी जाति प्रमाण पत्र	
10. दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र	
11. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र	
12. अन्य	

-:: घोषणा पत्र ::-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थान

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नंबर

ई-मेल नं.

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरे)